न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 23/2025
रजिस्ट्रेशन नं. : 2025/25

		अभियुक्त :–
राजस्थान राज्य जरिये श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	श्री शाहरुख मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ निवासी मेन रोड खमेरा, घाटोल, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स शाहरुख किराणा स्टोर, मेन रोड खमेरा, घाटोल, बांसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 15–07–2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **30–05–2025** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **09–12–2024** को दौराने गश्त 3.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स शाहरुख किराणा स्टोर, मेन रोड खमेरा, घाटोल, बांसवाडा** पर पहुंचा तो वहाँ पर **श्री शाहरुख मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ** मिले **विक्रेता की उपस्थिति में परिसर** का निरीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ **कॉन्टीनेन्टल सॉस (गौरव) 900 ग्राम की 15 बोतल रखी हुई थी। जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने एवं मिलावट का** शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **कॉन्टीनेन्टल सॉस (गौरव) की 4 बोतल प्रत्येक 900 ग्राम** वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत **360/–** रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्र[illegible] जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर [illegible] हस्ताक्षर किये। नमूना जॉच हेतु खरीदशुदा **कॉन्टीनेन्टल सॉस (गौरव) के 900–**[illegible] ग्राम की बोतल के [illegible]ना भाग **तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:42:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-2019** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक **एफ.एस.एस.ए/2025/11 दिनांक 15–01–2025** एव **खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 04 दिनांक 01–01–2025** अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **कॉन्टीनेन्टल सॉस (गौरव)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2019** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। उक्त नमुने की पुनः जांच हेतु विक्रेता द्वारा एफ.एस.एस.ए की धारा 46 की उपधारा (4) के तहत पुनः निर्धारित समयावधि में अपील नही की गयी।

विक्रेता द्वारा **कॉन्टीनेन्टल सॉस (गौरव)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) [illegible] किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत [illegible] किया।

प्रकरण दिनांक **04–06–2025** को [illegible] किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:42:59 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक **15–07–2025** को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परिवाद में अंकित आरोपो को स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा जो आदेश किया जावेगा उसकी पालना की जायेगी।

आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक **एफ.एस.एस.ए/2025/11 दिनांक 15–01–2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 04 दिनांक 01–01–2025** अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **कॉन्टीनेन्टल सॉस (गौरव)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2019** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सब स्टेण्डर्ड पाया गया **कॉन्टीनेन्टल सॉस (गौरव)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री शाहरुख मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ निवासी मेन रोड खमेरा, घाटोल, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स शाहरुख किराणा स्टोर, मेन रोड खमेरा, घाटोल, बांसवाडा (राज.) को रूपये 10000/– (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 15–07–2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:42:59 IST
Reason: SelfAttested

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
खाद्य निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)